ईमेल– eecdvikasnagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, विकासनगर
(डाकपत्थर रोड़ नियर पुल न0–1)

पत्रांक 479 / वन-भूमि / 17 दिनांक 11-02-2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषयः– **जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत नाड़ा पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.22 हेक्टयर वन भूमि का गैर वनिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में (ऑनलाइन पत्रावली-FP/UK/WATER/134917/2021) के सन्दर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या 1063/FP/UK/WATER/134917/2021 दिनांक 26.10.2021 एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्वीकृति आदेश संख्या 1518/X-3-21/02(35)/2021 Dated 22-11-2021 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑनलाइन चालन जनरेट करते हुए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि NEFT के माध्यम से जमा करा दी गयी है। एवं निम्नानुसार शर्ते/प्रतिबन्ध का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

क्र0 सं0	शर्ते/प्रतिबन्ध	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़ें स्थानों पर निम्नानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 146400.00 NEFT के माध्यम से एड–हॉक कैम्पा के खाते में जमा करा दी गयी है। ऑनलाईन Paid Status की प्रति संलग्न है। **संलग्नक–1**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पत्र संख्या F.No.5-2/2017-FC Dated 28-03-2019 द्वारा जारी की गयी handbook of guideline on Forest conservation Act के अनुसार 4" dia तक कि पाईप लाईन कार्यो मे NVP की धनराशि देय नहीं है। **संलग्नक–2**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य होगी। प्रमाण पत्र संलग्न है। **संलग्नक–3**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की	क्र0सं0 1 के अनुसार प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 146400.00 NEFT Transaction No. SAKN61439045 के माध्यम से एड–हॉक कैम्पा के खाते में जमा करा दी गयी है, प्रति संलग्न है। **संलग्नक–4**

	छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में ऑनलाईन एडिशनल इनफॉरमेशन डिटेल के बिन्दु संख्या–13 पर अपलोड है, तथा प्रस्ताव में संलग्न है। **संलग्नक–5**
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन Additional information detail के बिन्दु संख्या–38 (FRA) पर अपलोड किया है, तथा प्रस्ताव में संलग्न है। **संलग्नक–6**
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य होगी। **संलग्नक–7**
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	उक्त कार्य में पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है, जिसमें कि ट्रेंच खुदाई के दौरान उत्सर्जित मलवा उक्त ट्रेंच में पाईप लाईन बिछाने के उपरान्त पुनः भर दिया जायेगा, जिससे कि अवशेष मलवा उत्सर्जित नहीं होगा, इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाईन के Additional detail पर बिन्दु संख्या–22 पर अपलोड किया गया है, तथा प्रस्ताव में संलग्न है। **संलग्नक–8**
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	उक्त कार्य को कराने में किसी प्रकार का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। तथा किसी प्रकार के वृक्ष का कटान नहीं किया जाना है। इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाईन के Additional detail पर बिन्दु संख्या–21 एवं 26 पर अपलोड कियो गये है, तथा प्रस्ताव में संलग्न है। **संलग्नक–9**

अतः आपसे अनुरोध है, कि उक्त योजना हेतु विधिवत स्वीकृति करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

भवदीय

(सोहित कु0 बर्नवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

संलग्नक - 1

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/WATER/134917/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/WATER/134917/2021) Nada drinking water scheme	WATER1349172021580	5313491758O	22 Nov 2021	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Plantation at near by places : 146400/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 146400/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 17 Jan 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Jan 2022 Transaction Date : 28 Jan 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/140120221802324664_FPUKWATER1349172021_User_Fund_Demanded_80970.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=WATER1349172021580)
2	FP/UK/WATER/41586/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/WATER/41586/2019) Fedan Rayagi Drinking water supply scheme	WATER415862019477	5341586477	13 Oct 2020	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Cost of minimum compulsory forestation work : 133100/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 133100/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 08 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Mar 2021 Transaction Date : 10 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311212612163FP6BFedanRaygiDemandLetter.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=WATER415862019477)

संलग्नक – 2

2

F. No. 5-2/2017- FC
Government of India
Ministry of Environment, forests and Climate Change
(FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003.

Dated: 28th March, 2019

To,

The Principal Secretary/Secretary (Forests),
All State/UT Governments.

Sub: Handbook of guidelines for effective and transparent implementation of the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980.

Sir,

In supersession of all guidelines issued in the past, a handbook of guidelines is issued for effective and transparent implementation of the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. All the provisions enshrined in these guidelines will be applicable from 8th March 2019 onwards. The copy of comprehensive guidelines is available on Ministry's website: www.parivesh.nic.in.

This issue with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forest (FC)

Copy to:

1. Prime Minister's Office, New Delhi.
2. Secretary, Ministry of Mines/Coal/Steel/MoRTH/MoPNG/MHA/MoP/MoTA, Government of India, New Delhi.
3. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
4. Nodal Officer (FCA), all State/ UT Governments.
5. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI, New Delhi.
6. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GoI, New Delhi.
7. All IGF/ DIGF/AIGF in MoEF&CC, GoI, New Delhi.
8. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC **with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.**
9. PPS to Secretary (EF&CC)/DGF&SS/ADGF(FC)/ADGF(Wildlife), MoEF&CC, New Delhi.
10. Guard File.

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forest (FC)

1/4/19

Chapter 3

Net Present Value

3.1 In pursuance of the orders of 29th Oct 2002 of the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 202/95 in addition to the funds realized for compensatory afforestation, the Net Present Value (NPV) of forest land diverted for non- forest purposes is also to be recovered from the user agencies, for undertaking forest protection, other conservation measures and related activities.

3.2 NPV is recoverable in all cases where diversion is approved on or after 29th Oct 2002 and also the cases for which in-principle clearance was granted before 29th October 2002 and final clearance after that.

3.3 In their orders of 28th March 2008, 28th April 2008 and 9th May 2008, the Apex Court decided the rates of NPV per ha. of the forest area diverted effective from 28th March 2008 for three years and subject to variation after three years, and also exemptions in specified categories of non-forest uses.

3.4 NPV Rates

The rates of NPV recoverable from the User Agency with effect from 28th March 2008 depending upon the type of forest land diverted are as mentioned below:

Eco-Value class	VDF	DF	OF
	NPV (in Rs.)		
Class I	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class II	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class III	8,87,000	8,03,000	6,26,000
Class IV	6,26,000	5,63,000	4,38,000
Class V	9,39,000	8,45,000	6,57,000
Class VI	9,91,000	8,97,000	6,99,000

Eco-Class I - Tropical Wet Evergreen Forests,
Tropical Semi Evergreen Forests and
Tropical Moist Deciduous Forests
Eco- Class II- Littoral and Swamp Forests
Eco-Class III- Tropical Dry Deciduous Forests
Eco-Class IV - Tropical Thorn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class V - Sub-tropical Broad-Leaved Hill Forests,
Sub-Tropical Pine Forests and
Sub-Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class VI - Montane Wet Temperate Forests,
Himalayan Moist Temperate Forests,
Himalayan Dry Temperate Forests,
Sub Alpine Forest,
Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub

However, for following specified areas of diversion/ projects the following rates of NPV will be applicable:

1.	Forest land falling in National Parks, if permitted in exceptional circumstances	10 times NPV for the forest area
2.	Forest land falling in Wildlife Sanctuaries, if permitted in exceptional circumstances	5 times NPV for the forest area
3.	Non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries, if permitted.	NPV payable for the adjoining forest area
4.	Non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, if permitted	5 times NPV for adjoining forest areas
5.	Re-diversion of already diverted forest land	Normal NPV for re-diverted forest land, except when such re-diversion is for the same UA and for same project (i.e. change of land use for the same project for which diversion has been approved)
6.	Mining area broken up before 25.10. 1980	Normal NPV for the forest area at the time of renewal of mining lease.

3.5 Exemption from payment of NPV

The following category of projects have been given exemption to the extent mentioned in the list below:

S. No.	Category	Particulars of Exemptions
1.	(i) Schools (ii) Hospitals (iii) Children's playground of non-commercial nature (iv) Community centers in rural areas (v) Over-head tanks (vi) Village tanks, (vii) Laying of underground drinking water pipeline up to 4" diameter (viii) Electricity distribution line up to 22 KV in rural areas	Full exemption up to 1 ha., of forest land provided: (a)no felling of trees is involved (b)alternate forest land is not available; (c)the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and (d)area is outside any National Park or Wild Life Sanctuary.

संलग्नक–3

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर धनराशि जमा करने की बचन बद्धता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत नाड़ा के पाईप लाईन निर्माण हेतु 0.22 हे0 वन भूमि का गैर वनिकी कार्यो हेतु पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/WATER/134917/2021)।

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण विषयक वन विभाग के सक्षम स्तर से भविष्य में एन0पी0वी0 आदि मदों में बढ़ोतरी होने पर यदि अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों पर सूचित धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा कराएगा।

सहायक अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0
विकासनगर।

अधिशासी अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0,
विकासनगर।

1.48 PM संलग्नक - 4 NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY	BANK COPY
Union Bank of India	Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-01-2022

Agency Name.	**CONSTRUCTION DIVISION UTTARAKHAND PAYJAL NIGAM**
Application No.	**53134917580**
MoEF/SG File No.	**02(35)/2021**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**Construction DivisionDehradun**
Amount(in Rs)	**146400/-**

Amount in Words :One Lakh Forty-Six Thousand Four Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0903710**
Pay to Account No.	**1508953134917580** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-01-2022

Agency Name.	**CONSTRUCTION DIVISION UTTARAKHAND PAYJAL NIGAM**
Application No.	**53134917580**
MoEF/SG File No.	**02(35)/2021**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address:	**Construction Division Dehradun**
Amount(in Rs)	**146400/-**

Amount in Words :One Lakh Forty-Six Thousand Four Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0903710**
Pay to Account No.	**1508953134917580** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

ACKNOWLEDGEMENT TO CUSTOMER

Date: 28/01/2022 AXSK220280005166 Bank Seal

We acknowledge receipt of NEFT / RTGS/IMPS instruction(s).

Reference No(For RTGS/NEFT) .... Retrieval Reference No (For IMPS) .... For Saksham Reference No (For IMPS) With Date & Time Request

Branch: VIKASNAGAR Name and Signature of Bank Official

Remitter's Name: EE CD UK PEYJAL NIGAM VIKASNAGAR Account No. 921010014260057 Cheque No. 051993

Beneficiary Name: Uttaranchal Campa Account No. 1508953134917580 IFSC UBIN 0903710

Amount in figures: 146400/- Amount (In Words) One lakh fourty six thousand four hundred only.

✓ SAKN61437045

संलग्नक–5

जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत नाड़ा के पाईप लाईन निर्माण हेतु 0.22 हे0 वन भूमि का गैर वनिकी कार्यो हेतु पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/WATER/134917/2021) ।

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण में जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा पाईप लाईन निर्माण विषयक दिये गये सुझावों के अनुसार ही प्रयोक्ता अभिकरण पाईप लाईन का निर्माण कार्य कराएगा।

सहायक अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0
विकासनगर।

अधिशासी अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0,
विकासनगर।

प्रारूप – 33

रियोजना का नाम – नाडा पे० यो०

भू–वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्मित अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाये।)

लागू नहीं

ह0/–
(भू–वैज्ञानिक)
नाम व मुहर सहित

Scanned with CamScanner

प्रारूप – 34

परियोजना का नाम – नहर पे०यो०

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

—— लागू नहीं ——

ह0/–
अधिशासी अभियन्ता,
प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल नि०
विकासनगर, नियर पुल न0-1

Scanned with CamScanner

संलग्नक- 6

प्रारूप – 30

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है)

FORM – I
(for linear projects)

ernment of Uttarakhand Office of the District Collector ....Dehradun........................

No ....

Dated 18/02/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for noo-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relavation in respect of linear projects, it is certified that 0.22..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of UJN. (name of user agency) for W/S.... (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Nada... village (s) in Chakrata. tehsils.

It is further certified that –

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.22 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committed (s), Gram Sabha (s) sub-division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... to .... annexure ....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl – As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Scanned with CamScanner

FORM – II
(for projects other than linear projects)

ment of Uttarakhand Office of the District Collector ....DEHRADUN..........

No ....

Dated 18|12|2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter lo 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for laving initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for noo-forest purposes, it is certified that 0.22.. hectares of forest land proposed to be diverted n favour of UJN.. (name of user agency) for ..W/S.. (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of ..Nada.. village (s) in Chakrata tehsils.

t is further certified that –

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.22 hectares of forest land for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committed (s), Gram Sabha (s) sub-division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... to .... annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under thr FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under thr FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of ..Nada. villages (s) is enclosed as annexure .... to annexure..........

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(f) The right of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural Communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Eucl – As above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

देहरादून

प्रारूप – 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss Dr. Ashish Kumar Shrivastav I.A.S deputy commissioner .... on dated 18/02/2021 time 10:35 Am...... at ....DM............. in which application claiming rights in .... area measuring 0.22.... hect for the construction of .....Reserve........ forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of .... sub division were siscussed to consider the same for admission by the sistrict level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place ...Dehradun
Dated ...18/02/2021

Deputy Commissioner-cum-chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
देहरादून।

Scanned with CamScanner

प्रारूप – 30.2

[परियोजना] का नाम – नया पे०ज०यो०

कार्यालय उप जिलाधिकारी ......चकराता......
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति ......चकराता......

उपखण्ड चकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत ......नया पे०ज०यो०...... (0.22 हे0 आरक्षित वन भूमि, ...–.... हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....–.... हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.22 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड पेयजल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ....चकराता....) की दिनांक ....–........ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डा० अपूर्वा सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री डा० अपूर्वा सिंह .... उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष।
2. श्री ....[illegible] चन्द्र पाण्डेय.... उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य।
3. श्री राजेश नेगी .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव।
4. श्री श्रीमति प्रेमा पंवार .... बी0डी0सी0 क्षेत्र ....लाखामण्डल.... सदस्य। प्रेमा पंवार (क्षेत्र पंचायत सदस्य)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, कि ......नया पे०ज०यो०...... परियोजना हेतु 0.22 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...चकराता.... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्पत्ति से उपखण्ड ....चकराता.... परिक्षेत्र के अन्तर्गत ....नया पे०ज०यो०.... परियोजना के निर्माण हेतु 0.22 हे0 वन भूमि पेयजल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। विकासनगर

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ....
जनपद ....

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एम0 एल0 जिनाटा
राजस्व उपनिरीक्षक/[illegible]
क्षेत्र लाखामण्डल
तह0 चकराता (दे0दून)

तहसीलदार
चकराता

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ....
जनपद ....

Scanned with CamScanner

प्रारूप – 303

परियोजना का नाम – नाडा पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम
तहसील चकराता जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत नाडा पेयजल योजना परियोजना के निर्माण हेतु (0.22 हे0 आरक्षित वन भूमि .... हे0 सिविल सोयम भूमि ....–..... हे0, वन पंचायत भूमि ....–..... हे0) अर्थात कुल 0.22 हे0 वन भूमि का .... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत नाडा द्वारा दिनांक 15-09-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया, कि ग्राम नाडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम विकासनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत–नाडा

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः–

दिनांकः– 18/02/2021

<u>वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

दिनांक 18-2-2021 को जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत नाड़ा पेयजल योजना का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 0.22 हैक्टेयर भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति–चकराता द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी– कालसी/चकराता की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.22 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के रिखनाड़ रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,
देहरादून।

जिलाधिकारी, देहरादून।
जिलाधिकारी
देहरादून।

एम0 एल0 जिनाटा
राजस्व उपनिरीक्षक/थानाध्यक्ष
क्षेत्र मारवांभण्डार
तह0 चकराता (दे0दून)

Scanned with CamScanner

प्रारूप – 30.4

दिनांक 15-9-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ......नाडा........

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रीतम सिंह	[illegible]
2.	दौलत सिंह	दौलत
3-	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
4-	सुरत सिंह	[illegible]
5-	आनन्द सिंह	आनन्दसिंह
6-	श्री राम	[illegible]
7-	दिवान सिंह	दिवान सिंह
8-	महावीर सिंह	महावीर
9-	कुन्दन	
10-	सुदन	[illegible]
11-	बलवीर	बलवीर
12-	नरोलिया	नरोलिया
13-	मथा राम	मथा राम
14-	कपालू	कपाल
15-	झाडू	झाडू
16-	लुला	[illegible]
17-	दिलाराम	दिलाराम
18-	शान्ती	शान्ती
19-	जीतराम	जीतराम
20-	बिजू	बिजू
21-	झापुलिया	झापुलिया
22-	साँजू	सौंजू
23-	धर्मलाल	[illegible]
24-	श्यामा	श्यामा
25-	सनी	सनी
		कुन्दन

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]

!! जय शेलकुड़िया महाराज !!

प्रधान ग्राम पंचायत नाडा

विकास खण्ड–चकराता, जिला–देहरादून (उत्तराखण्ड)

कु० अनीता
प्रधान

निवास :–
ग्राम व पो0–नाडा, तह0–चकराता
जिला–देहरादून (उत्तराखण्ड) पिन–248124
मो0–7252938778, 8445355694

पत्रांक.......................... दिनांक 15-9-2020

ग्राम सभा की बैठक का प्रमाण पत्र

आज दिनांक 15-9-2020 को ग्राम पंचायत नाडा के अन्तर्गत नाडा पेयजल योजना हेतु एक आम बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान कु० अनिता द्वारा की गई ग्राम में पेयजल योजना के निर्माण हेतु विस्तार से चर्चा की गई ग्राम पंचायत नाडा के अन्तर्गत स्वीकृत नाडा पेयजल योजना स्रोत जो कि पद्दाडका जल्ली खण्ड द्दरडका से प्रस्तावित है जो आरक्षित वन भूमि के रिखनाड कक्ष स० 9, 10 तथा कुडोग स० 14 में पडता है उस स्रोत से नाडा के समस्त तोक हेतु योजना बनाने एवं वन भूमि हस्तान्तरण प्रपत्र बनाकर वन विभाग को प्रस्ताव पेयजल निगम विकासनगर जो कि कार्यदायी संस्था है के माध्यम से वन विभाग को भेजने हेतु उपस्थित समस्त ग्राम वासियो द्वारा सहमती दी गयी। उक्त बैठक में 60% से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रधान ग्राम पंचायत–नाडा
[signature]

!! जय शेलकुड़िया महाराज !!

प्रधान ग्राम पंचायत नाडा

विकास खण्ड–चकराता, जिला–देहरादून (उत्तराखण्ड)

कु0 अनीला
प्रधान

निवास :–
ग्राम व पो0–नाडा, तह0–चकराता
जिला–देहरादून (उत्तराखण्ड) पिन–248124
मो0–7252938778, 8445355694

पत्रांक.......................... दिनांक 15-9-2020

ग्राम सभा बैठक का प्रमाण पत्र

आज दिनांक 15-9-2020 को ग्राम पंचायत नाडा के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त तोक हेतु नाडा पेजल योजना के निर्माण हेतु एक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें योजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्रोत, पटाडका जल्ली एड्ड तथा छरड़का खड्ड के बारे में चर्चा की गई बैठक में नाडा पंचायत के ग्रामवासी उपस्थित थे प्रस्तावित स्रोत जो कि आरक्षित वन भूमि में स्थित है से पाईप लाईन का निर्माण कार्य का प्रस्ताव पारित कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रपत्र तैयार कर वन विभाग को हस्तान्तरण प्रपत्र प्रेषित करने का प्रस्ताव पारित कर बैठक का समापन किया गया ताकि ग्रामवासियों को शीघ्र पेजल का लाभ मिल सके,

हस्ताक्षर ग्रामवासी

प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत–नाडा
वि0 ख0 चकराता देहरादून

Scanned with CamScanner

प्रारूप – 28

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाये।

दौलत

महावीर

आनन्द सिंह

चन्दन सिंह

दिवान सिंह

बलवीर

मयाराम

कुन्दन

सन्नी

श्यामा

शान्ती

विजू

सरपंच
मुहर सहित

संलग्नक—7

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त शर्तो का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।

विषयः— जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत नाडा के पाईप लाईन निर्माण हेतु 0.22 हे0 वन भूमि का गैर वनिकी कार्यो हेतु पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/WATER/134917/2021) ।

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण में समस्त शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अक्षरशः पालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0
विकासनगर।

अधिशासी अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0,
विकासनगर।

संलग्नक–8

मलवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत नाडा के पाईप लाईन निर्माण हेतु 0.22 हे0 वन भूमि का गैर वनिकी कार्यो हेतु पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/WATER/134917/2021) ।

उक्त कार्य में पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है, जिसमें कि ट्रेंच खुदाई के दौरान उत्सर्जित मलवा उक्त ट्रेंच में पाईप लाईन बिछाने के उपरान्त पुनः पाईप के उपर ट्रेंच में ही भर दिया जायेगा, जिससे कि अवशेष उत्सर्जित मलवे की मात्रा शून्य होगी।

सहायक अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0
विकासनगर।

अधिशासी अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0,
विकासनगर।

प्रारूप – 49

योजना का नाम – नाडा पे० यो०

मलवा निस्तारण योजना इस मार्गदर्शिका के परिविष्ट में दिये मॉडल अनुसार तैयार की जानी है।

पाइप लाइन खुदान का मलवा पाइप फिटिंग के उपरान्त पाइप लाइन में भरान पाइप के दबान के रूप में किया जायेगा, किसी प्रकार की वन एवं वन्यजीव क्षति न हो।

ह०/ –
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
विकासनगर, नियर पुल न०-1

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेन्ज
नाडा

ह०/ –
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता

(अशोक कुमार)
वन दरोगा
नाडा सेक्शन

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी
चकराता वन प्रभाग

Scanned with CamScanner

संलग्नक–9

वृक्ष कटान निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

विषयः–जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत नाडा के पाईप लाईन निर्माण हेतु 0.22 हे0 वन भूमि का गैर वनिकी कार्यो हेतु पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/WATER/134917/2021) ।

उक्त कार्य को कराने में किसी प्रकार का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। तथा किसी प्रकार के वृक्ष का कटान नहीं किया जाना है।

सहायक अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0
विकासनगर।

अधिशासी अभियन्ता,
नि0शा0, उ0पे0नि0,
विकासनगर।

प्रारूप – 23

परियोजना का नाम – नाडा पे०यो०

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है।

ह0/–
प्रयोक्ता अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
विकासनगर, निर्माण खण्ड न0-1

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेन्ज
नाडा

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी
चकराता वन प्रभाग

(अशोक कुमार)
वन दरोगा
नाडा सेक्शन

Scanned with CamScanner

प्रारूप – 19

परियोजना का नाम – नाडा पे0यो0

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 05-08-20 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क0 सं0	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक/ कम्पार्टमेन्ट /खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								
					20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि												
2	सिविल सोयम												
3	वन पंचायत												
4	संरक्षित वन												
	योग– वन भूमि						लागू नहीं						
5	नाप भूमि												
	कुल योग–												

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पतन किया जाना अपरिहार्य है।

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
(अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, विकासनगर, नियर पुल न0-1)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
(वन क्षेत्राधिकारी रिखनाड़ रेन्ज नाडा)

ह0/–
राजस्व विभाग

(उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी चकराता वन प्रभाग)

ह0/–
जिलाधिकारी

एम0 एल0 जिनाटा
राजस्व उपनिरीक्षक/थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखामण्डल
तहसील चकराता (दे0दून)

(अशोक कुमार
वन दरोगा
नाडा सेक्शन)

तहसीलदार
चकराता

उप जिलाधिकारी
कालसी/चकराता

Scanned with CamScanner

प्रारूप – 21

रियोजना का नाम – नाड़ा पे0यो0

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क0सं0	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	आरक्षित वन भूमि			
2	सिविल सोयम			
3	वन पंचायत			
4	संरक्षित वन		लागू नहीं	
	योग – वन भूमि			
5	नाप भूमि			
	कुल योग–			

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल ....—.... वृक्षों में से वास्तविक रूप से वल ....—.... वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
विकासनगर, नियर पुल न0-1

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेन्ज
नाड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी
चकराता वन प्रभाग

(अशोक कुमार)
वन दरोगा
नाड़ा सेक्शन

Scanned with CamScanner